

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के व्ययादेश सं०-1192(1), दिनांक-05.09.2016 एवं आवंटनादेश सं०-46(1)ब०, दिनांक-05.09.2016 को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है-

1- व्ययादेश सं०-1192(1), दिनांक-05.09.2016 में कंडिका-12 निम्नरूपेण सम्मिलित किया जाता है-

"12- राशि की अग्रिम निकासी में मा० मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।"

2- व्ययादेश सं०-1192(1), दिनांक-05.09.2016 एवं आवंटनादेश सं०-46(1)ब०, दिनांक-05.09.2016 की कंडिका-6 निम्नरूपेण प्रतिस्थापित की जाती है-


"अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा राशि की निकासी बी०टी०सी० फॉर्म-26 पर करते हुए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राशि बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी, जो इसे अपने पी०एल० खाता में जमा कर कार्य को सम्पादित करायेंगे।"

3- व्ययादेश सं०-1192(1), दिनांक-05.09.2016 एवं आवंटनादेश सं०-46(1)ब०, दिनांक-05.09.2016 की कंडिका-7 निम्नरूपेण प्रतिस्थापित की जाती है-

" बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा राशि के व्ययोपरान्त इसका डी०सी० विपत्र महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए इसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।"

4- व्ययादेश सं०-1192(1), दिनांक-05.09.2016 एवं आवंटनादेश सं०-46(1)ब०, दिनांक-05.09.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

5- व्ययादेश एवं आवंटनादेश की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी।


(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।


ज्ञापांक-1/आई०जी०आई०सी०-01/2016-52(1)७०/स्वा०, पटना, दिनांक-26/9/2016
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा० मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/उप सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/संबंधित सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।